महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

पत्रांक :सी.एम.सी.एल.डी.पी./17/196 दिनांक : 28.08.2017

प्रति –

1. आयुक्त,
   महिला सशक्तिकरण संचालनालय,
   पर्यावास भवन, भोपाल.
2. कार्यपालक निदेशक,
   मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद,
   राजीव गाँधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल.

विषय : **शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के संचालन हेतु परामर्शदाताओं (मेन्टर्स) के सम्बन्ध में।**

भागः अ – परामर्शदाता पात्रता परीक्षा

1. मध्य प्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर से कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 16.06.17 के अनुक्रम में 21 जून 2017 को सी.एम.सी.एल.डी.पी. की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी जिसके कार्यसूची क्रमांक (6) पर ''स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस'' की रिपोर्ट के संदर्भ में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मेंटर्स के लिये परीक्षा के मापदण्ड तय करने का दायित्व विश्वविद्यालय को दिया गया था।
2. उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड का प्रस्ताव रखा गया जिसे 21 जून 2017 की समीक्षा बैठक में अनुमोदित किया गया और इसी तारतम्य में शासन के निर्देशानुसार 13 अगस्त 2017 को मध्यप्रदेश के 51 जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में परीक्षा सम्पन्न करके परिणाम घोषित किये गये :–
   - प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के बी.एस.डब्लू. पाठ्यक्रम के सभी मॉडयूल (14) से पांच वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे।
   - 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्तम, 50 से 69 प्रतिशत अंक पाने पर अच्छा तथा 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर आगे अवसर प्रदान करने हेतु पुनर्विचार किया जावेगा।
   - आगामी पाठ्यक्रम संचालन के लिए तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उन्हीं परामर्शदाताओं को अवसर प्रदान किया जाये जिन्होंने 50 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
3. इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं बिना उचित कारण के अनुपस्थित परामर्शदाता के स्थान रिक्त माने जायेंगे। अनुत्तीर्ण, परीक्षा से अनुपस्थित एवं पूर्व से रिक्त परामर्शदाता की संख्या के स्थान पर नवीन मेंटर्स रखे जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ किया जावे।
4. उत्तीर्ण होने के बावजूद यदि विगत दो वर्षों में किसी परामर्शदाता का कार्य व्यवहार उत्तम न रहा हो अथवा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप न हो तो संबंधित जिला समन्वयक अथवा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी की अनुमति से उसका स्थान रिक्त मानकर उसके स्थान पर नवीन परामर्शदाता को अवसर प्रदान किया जावेगा।

भाग : ब – परामर्शदाताओं की पात्रता

5. मेंटर्स की शैक्षणिक योग्यता हेतु परास्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उन्हीं विषयों में मान्य होगा जो पाठ्यक्रमानुसार मॉड्यूल (01 से 21) के अनुरूप है। तदनुसार निम्नांकित में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि का होना अनिवार्य होगाः–
   - समाज कार्य, विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबन्धन, राजनीति विज्ञान, जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन, गृह विज्ञान, फूड टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अप्लिकेशन, मनोविज्ञान, पर्यावरण, वाणिज्य, किसी भी विषय में परास्नातक उपाधि के साथ विधि, विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, जर्नलिज्म, कम्प्यूटर अप्लिकेशन, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, लेखांकन, का डिप्लोमा या डिग्री. चिकित्सकीय विषय के लिये बी.ए.एम.एस., एच.एम.डी.एस.

6. फर्जी बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से अर्जित शैक्षणिक योग्यता/उपाधि मान्य योग्य नहीं होगा।
7. दो या दो से अधिक के एक विषय में समान अंक अर्जित करने पर उनके शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार समिति में अर्जित अंक को मिलाकर जिसका प्रतिशत अंक अधिक होगा, तदनुसार परामर्शदाता सूची के वरिष्ठताक्रम में रखा जावेगा।
8. उक्त मेंटर्स विश्वविद्यालय की देयता की श्रेणी में नहीं होंगे और किसी भी दशा में जब तक कि शासन द्वारा विहित नहीं किया जाये उन्हें विश्वविद्यालय अथवा शासकीय सेवक के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
9. परामर्शदाताओं के चयन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :–

क्र.	योग्यता निर्धारण	अंक
1	**शैक्षणिक योग्यता :–** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य, विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबन्धन, राजनीति विज्ञान, जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन, गृह विज्ञान, फूड टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अप्लिकेशन, मनोविज्ञान, पर्यावरण, वाणिज्य, किसी भी विषय में परास्नातक उपाधि के साथ विधि, विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, जर्नलिज्म, कम्प्यूटर अप्लिकेशन, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, लेखांकन, का डिप्लोमा या डिग्री. चिकित्सकीय विषय के लिये बी.ए.एम.एस., एच.एम.डी.एस.	02
2	उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता की सूची में से दो या दो से अधिक स्नातकोत्तर उपाधि।	02
3	विन्दु 1 से संबंधित विषय में नेट अथवा पी.एच–डी.	02
4	उपरोक्त विषयों में महाविद्यालयीन स्तर पर अध्यापन कार्य का अनुभव।	02
5	अध्यापन के दौरान प्रायोगिक कार्य करवाने का अनुभव।	02
6	ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय विभागों/संस्था से सेवानिवृत्त।	02
7	उच्च शिक्षा विभाग संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से सेवा निवृत्त।	02
8	संबंधित विकासखंड अथवा जिले का स्थानीय निवासी।	02
9	विकास से संबंधित विषयों पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था/विभाग से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण लिया हो या दिया हो अथवा सी. एम.सी.एल.डी.पी. के अन्तर्गत परामर्शदाता का अनुभव।	02
10	चयन समिति का स्वविवेक (उम्मीदवार का साक्षात्कार में प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, व्यक्तित्व तथा अन्य विविध सुसंगत कारकों के आधार पर)	02
	कुल अंक	20

10. परामर्शदाताओं के चयन हेतु साक्षात्कार समिति :–

1. जन अभियान परिषद :–

1	कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद अथवा उनके नामिति जो संभाग समन्वयक पद से निम्न न हो।	अध्यक्ष
2	जिला समन्वयक	सदस्य
3	संबंधित विकासखण्ड समन्वयक	सदस्य
4	विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5	समाज कार्य विशेषज्ञ	सदस्य

2. महिला एवं बाल विकास विभाग/महिला सशक्तिकरण :–

1	संचालक, महिला एवं बाल विकास अथवा उनके नामिति जो संयुक्त संचालक के पद से निम्न का न हो।	अध्यक्ष
2	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
3	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	सदस्य
4	विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5	समाज कार्य विशेषज्ञ	सदस्य

11. चयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा एवं सर्वमान्य होगा।

ह./–
(डॉ. अमरजीत सिंह)
निदेशक एवं लिंक अधिकारी,
सी.एम.सी.एल.डी.पी.

संलग्नक : मेंटर्स पात्रता परीक्षा 13 अगस्त 2017 का परिणाम

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.
4. मा. कुलपति महोदय, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना, म.प्र.
5. श्रीमती रचना बुधौलिया, उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल.
6. श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार, सी.एम.सी.एल.डी.पी, उद्यमी विकास संस्थान, भोपाल
7. श्री आर.के. मिश्रा, राज्य सलाहकार. सी.एम.सी.एल.डी.पी., उद्यमी विकास संस्थान, भोपाल
8. डॉ. गोविन्द सिंह, वेबसाइट में अपलोड बावत्।

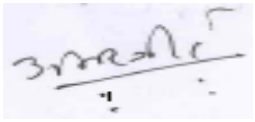

(डॉ. अमरजीत सिंह)
निदेशक एवं लिंक अधिकारी,
सी.एम.सी.एल.डी.पी.